

स्वीप 700 से अधिक औद्योगिक कर्मियों ने लिया मतदान का संकलन

उद्योगों में मतदाता जागरूकता के लिए जिले में हो रही नई पहल, बना रहे इंडस्ट्रियल कैप्टन

जोहार छत्तीसगढ़-
रायगढ़।

आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्भूत जिले के विभिन्न स्थानों में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में औद्योगिक क्षेत्र के जेसपीएल परिसर परताराती रायगढ़ में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां 700 से अधिक औद्योगिक कर्मियों ने शत-प्रतिशत मतदान हुते संकेत पत्र भरा और मतदान की स्थाप भी ली। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सिन्हा द्वारा गठ निर्वाचन में हुई वोटिंग की समीक्षा की गई थी। जिसमें पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत काम मतदान हुया था। जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने इन क्षेत्रों के मतदाताओं को जागरूक करने एवं वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने स्वीप कार्यक्रम की कार्ययोजना बना कर गतिविधियां संचालित करने के



* जेसपीएल में हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, मतदान की ली शपथ



श्रीवास्तव एवं स्वीप टीम उपस्थित रहे।

इंडस्ट्रियल कैप्टन करेंगे प्रोत्साहित, औद्योगिक कर्मियों की सहभागिता बढ़ाने जिले में नई पहल

आगामी निर्वाचन के मद्देनजर उद्योग कर्मियों की मतदान में जागरूक करने एवं मतदान से जुड़ी जरूरी कार्यक्रम अंतर्गत जेसपीएल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उद्योग कर्मियों को मतदान से जुड़ी सभी जानकारियां दी गईं। साथ ही ईवीएम मरीन औद्योगिक इकाइओं में इंडस्ट्रियल कैप्टन बनाया जा रहा है। जो उस इकाई के विरित अधिकारी होंगे। आज जेसपीएल में हुए कार्यक्रम में जनरल मैनेजर एचआर सुधीर

एक नजर
लैलूंगा विधानसभा में संभावित दावेदार हो सकते हैं- जागेश सिंह

जोहार छत्तीसगढ़-लैलूंगा।

रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा में भी भाजपा के दावेदारों की संख्या भरमार है। इस बीच भाजपा जिसके ऊपर दाव लगेगा वह लैलूंगा जिला पंचायत से लगातार अपने कार्यों का पूर्णतः निर्वहन कर रहे जागेश सिद्धार का नाम बच्चा बच्चा के जुबान में आ रहा है। अनेक सर्वे में नाम प्रमुखता के रूप में स्थापित हो रही है। विरुद्ध को छोड़ भाजपा जमीनी स्तरीय के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी अपना दाव खेल सकती है। चाहे वह जागेश सिद्धार क्यों न हो। पार्टी के लिए लगातार समर्पित होकर हर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने भव्य प्रयोग जागेश ने दिया। लैलूंगा विधानसभा के अंदरूनी विकास कार्यों के मुद्रे को लेकर जागेश ने आवाज उठाई। जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा वाचक जया किसीरी के अंदरूनी जिले के भी मुख्य जागेश सिंह रहे हैं। भाजपा द्वारा जागेश को अदेवा करना यह तुकड़ा के घेरे में हो सकता है। जूनी भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाम जागेश एक अंतर्राष्ट्रीय और विश्व के सभवे बड़ी पार्टी होने के बाहर नहीं होगी। जागेश सिंह भाजपा को लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से जीत निश्चित दिला सकते हैं। सर्वों की माने जो जागेश का नाम समस्त सर्वे में प्रबल है। लैलूंगा को जीत दिलाने युवा को आगे बढ़ने जागेश के ऊपर पार्टी संभावित लगा सकती है दाव।



रायगढ़ तहसील कार्यालय के औचक

निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा

* सभी प्रकरण ई कॉर्ट में किए जाएं दर्ज-कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा



* राजस्व मामलों से जुड़े प्रकरणों का किया अवलोकन। लैब समय से पैडिंग मामलों के लिए लिंक्ड विराकरण के लिए किया गया।

* दस्तावेजों के व्यवस्थित रखने के लिए किया गया।

* मौके पर पटवारी की हुई शिक्षायत, प्रतिवेदन देने में कर रहे विलंब, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कार्यालयीन दर्ज कर दिए।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

मौके पर पटवारी की हुई शिक्षायत, प्रतिवेदन देने में कर रहे विलंब, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों को आवेदन प्राप्त होने पर ई-कॉर्ट में दर्ज कर उस पर कार्यालयीन दर्ज करने के लिए किया गया।

उन्होंने प्रकरणों

